



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042023-245148
CG-DL-E-13042023-245148

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]
No. 228]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2023/चैत्र 23, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2023/CHAITRA 23, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 289(अ).—केंद्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 9 फरवरी, 2023 में, भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 90(अ), तारीख 9 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 9 फरवरी, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (चक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 53क में, "जिस पर बाँड़ी को अलग से तैयार किया जाना है", शब्दों के पश्चात्, "या पूर्णतः निर्मित मोटर वाहन की दशा में जिसे अनुकूलित वाहन में संपरिवर्तन के लिए परिवर्तित किया जाना है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 53 ख के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि पूर्णतः निर्मित मोटर वाहन की दशा में जिसे अनुकूलित वाहन में संपरिवर्तन के लिए परिवर्तित किया जाना है या मोटर वाहन का रजिस्ट्रीकरण उस राज्य से भिन्न राज्य में किया जा रहा है जिसमें ब्यौहारी स्थित है, ऐसे स्थायी रजिस्ट्रीकरण की वैधता इसे जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के लिए होगी।"

[फा. सं. आरटी-11036/164/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226(अ), तारीख 27 मार्च, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2023

G.S.R. 289(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 90(E), dated the 9th February, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 9th February, 2023 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 9th February, 2023;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred clause (fa) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 53A, after the words "on which the body has to be fabricated separately", the words "or in case of fully built motor vehicle which is to be altered for conversion to an adapted vehicle" shall be inserted.

3. In rule 53B of the said rules, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that in case of fully built motor vehicle which is to be altered for conversion to an adapted vehicle or the motor vehicle is being registered in a State other than the State in which the dealer is situated, the validity of such temporary registration shall be for a period of forty five days from the date of its issue.”

[F. No. RT-11036/164/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 226(E), dated the 27th March, 2023.